(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1591/एक–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 23.8.2007 – पारित – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर –प्रकरण कमांक 71 अ 6/05–06 अपील

1– श्रीमती लाड़कुँवर पत्नि विजय सिंह ठाकुर
ग्राम नगदा तहसील खुरई जिला सागर

2– श्रीमती श्रीवाई(फोत)पत्नि विन्द्रावनसिंह
वारिस
(अ) प्राणसिंह पुत्र विन्द्रावनसिंह
(ब) रामसिंह पुत्र विन्द्रावनसिंह
(स) कोमलसिंह पुत्र विन्द्रावनसिंह
(द) विन्द्रावनसिंह पुत्र ओंकारसिंह
सभी ग्राम मढ़नी तहसील खुरई जिला सागर
3– श्रीमती गेंदावाई उर्फ जानकीवाई पत्नि
मोहनसिंह निवासी ग्राम टीला बुजुर्ग
तहसील व जिला सागर मध्यप्रदेश ———आवेदकगण

विरूध्द

1– महेन्द्र सिंह 2– प्रताप सिंह 3– खलकसिंह
तीनों पुत्रगण मेहतापसिंह ठाकुर ग्राम रेंगुवा
तहसील खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री नंदलाल पटैल
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एन0पाण्डे

आदेश

(आज दिनांक 14-7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 713/अ–6/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.8.2007 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 (आगे जिसे संहिता अंकित किया गया है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण की ओर से तहसीलदार खुरई के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई कि ग्राम रेगुॅवा में महिला राधावाई पत्नि स्व. मेहतापसिंह के नाम 1.900 हैक्टर भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिनकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है । मृतक राधावाई के आवेदकगण एंव अनावेदक श्रीवाई , लाड़कुॅवर, गेंदावाई पुत्रियां हैं किन्तु पुत्रियॉ अपना हक व हिस्सा नहीं चाहती है इसलिये अनावेदकगण का नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार खुरई ने प्रकरण कमांक 63 अ 6/2003–04 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 7–5–2005 पारित किया तथा नामांत्रण पंजी वर्ष 85/86 में हुये आदेश दिनांक 8–5–86 के आधार पर श्रीवाई , लाड़कुॅवर, गेंदावाई पुत्रियों व्दारा नोटरी के शपथ पत्रों से पिता की संपत्ति में भाईयों के हित में हक छोड़ना मानते हुये वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण का नामान्तरण करना आदेशित किया।

तहसीलदार खुरई के उक्त आदेश से व्यथित होकर महिला लाड़कुवॅर ने अनुविभागीय अधिकारी खुरई के यहां अपील कमांक 25 अ 6/05–06 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 17–8–06 से अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–5–05 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 713/अ–6/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.8.07 से अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी खुरई का आदेश दिनांक 17–8–06 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार खुरई के प्रकरण कमांक 63 अ 6/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 7–5–2005 को यथावत् रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया किया गया।

4/ अंतिम बहस के समय अनावेदकगण के अभिभाषक की ओर से

प्रस्तुत आवेदन दिनांक 8–5–12 के तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जिसका मूल आधार बताया गया है कि आवेदकगण की ओर से व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का दावा कमांक 11 ए 11 दायर कर दिया गया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आदेश पारित न करते हुये निगरानी निरस्त कर देना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा व्यवहार न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 19.3.12 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से पाया गया कि यह वाद श्रीमती लाडकुंवर व्दारा अनावेदकगण के विरूद्व प्रस्तुत किया है जबकि विचाराधीन प्रकरण स्वत्व के बिन्दु के निराकरण का नहीं है अपितु शासकीय अभिलेख में नामान्तरण के आधार पर रिकार्ड को अद्वतन किये जाने व शुद्व किये जाने वावत् है जिसमें श्रीमती लाड़कुंवर के अलावा दो अन्य दावेदार श्रीमती श्रीवाई के वारिसान एंव श्रीमती गेंदावाई के हित निहित है वैसे भी मान. व्यवहार न्यायालय से जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से तद्नुसार रिकार्ड अद्यतन होगा, जिसके कारण अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ प्रकरण में विचार किया जाना है कि मृतक महिला राधावाई पत्नि स्व. मेहतापसिंह के नाम 1.900 हैक्टर भूमि पर नामान्तरण कार्यवाही विचारित होने में तहसीलदार खुरई ने नामान्तरण आदेश दिनांक 7.5.2005 में ग्राम की नामान्तरण पंजी 85/86 पर आदेश दिनांक 8–5–86 में पिता के नाम की भूमि के नामान्तरण के समय दिये गये शपथ पत्रों का आधार लेकर नामान्तरण आदेश पारित किया है तब क्या उन्हीं शपथ पत्रों को मृतक महिला राधावाई व्दारा छोड़ी गई वादग्रस्त भूमि पर लागू करके उसकी पुत्रियॉ श्रीवाई लाड़कुँवर, गेंदावाई की उत्तराधिकारिता/हित समाप्त मानकर नामान्तरण कार्यवाही करना नियमानुकूल मानी जावेगी ?

दिनांक 8—5—86 से मृतक पिता के नाम की भूमि पर नामान्तरण कार्यवाही हुई है जिसमें तथाकथित शपथ पत्रों की तहसीलदार ने आड़ ली है । एकमात्र पुत्री श्रीमती लाड़कुँवर वाई उर्फ लक्ष्मीवाई पत्नि विजय सिंह ठाकुर निवासी ग्राम नगदा तहसील खुरई ने दिनांक 21.12.2004 को शपथ पत्र लिखा है इस शपथ पत्र की छायाप्रति तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ—31 पर संलग्न है शेष दो बहिन श्रीवाई, गेंदावाई का न तो कोई शपथ है और न ही उन्हें आहुत किया गया है तथा तहसीलदार खुरई ने जानबूझकर नामान्तरण नियमों की अनदेखी करते हुये मृतक महिला राधावाई पत्नि स्व. मेहतापसिंह व्दारा छोड़ी गई 1.900 हैक्टर भूमि पर अनावेदकगण के नाम पूर्व में हुये ग्राम की नामान्तरण पंजी 85/86 पर आदेश दिनांक 8—5—86 के नामान्तरण को अधार मानकर जांच एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 7—5—05 पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने त्रृटिपूर्ण पाकर निरस्त किया है किन्तु अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अनुविभागीय अधिकारी खुरई के आदेश दिनांक 17—8—06 को निरस्त करने में भूल की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 713/अ—6/05—06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.8.2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी खुरई व्दारा कमांक 25 अ 6/05—06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—8—06 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर